यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी** के माह 02/2016 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री **शरत** श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा **अ धकार**ी द्वारा दिनांक 05.09.2017 से 11.09.2017 तक **श्री** सुनील कल्ला **वरिष्ठ** लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

## भाग-I

1. **परिचयात्मकः** **इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री** राजा रंजन राव, अरविन्द कुमार शर्मा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23/02/2016 से 09/03/2016 तक श्री शशि कान्त पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह मई 2013 से जनवरी 2016 तक के लेखाअभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान में राजस्व हेतु माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखाअभिलेखों की जांच की गयी
2. (i) **इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्र**: वनीकरण एवं वृहत एवं लघु निर्माण कार्य

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

| वर्ष | अर्जित राजस्व (रू लाख में) |
|---|---|
| 2014-15 | 573.96 |
| 2015-16 | 373.36 |
| 2016-17 | 398.03 |

(ii)(ब) बजट <u>का विवरण</u>

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आ धक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना (`) | गैर स्थापना (`) | आवंटन (`) | व्यय (`) | आवंटन (`) | व्यय (`) | | |
| 2014-15 | --- | --- | 969.18 | 969.18 | 115.32 | 115.27 | --- | ----- |
| 2015-16 | ---- | ---- | 853.85 | 845.34 | 240.48 | 240.48 | ---- | --- |
| 2016-17 | ----- | ----- | 908.12 | 903.17 | 357.47 | 348.39 | ----- | ---- |

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय | बचत | अ धक्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 2406-आई एफ एम | 0.00 | 6.26 | 6.26 | ---------- | ---- |
| 2015-16 | 2406-आई एफ एम | 0.00 | 7.95 | 7.95 | ---------- | --- |
| 2016-17 | 2406-आई एफ एम | 0.00 | 17.09 | 17.09 | -------- | --- |
| | | | | | | ---- |

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

**(iv)** वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

**(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग** टिहरी (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अं कत कया जाय) को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अं कत कया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

**(Vi)** वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :- **(**राजस्व एंव व्यय हेतु अलग-अलग बताये**)**

माह 03/2017 एवं को वस्तृत जांच एवं 03/2016 को अंकगणितीय जॉच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2017 एवं को वस्तृत जांच एवं 03/2016 को अंकगणितीय जॉच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

(जिस योजना का चयन कया गया उसका नाम अं कत कया जाय) का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------..... ..... (प्रतिचयन व ध का नाम अं कत कया जाय) के आधार पर कया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग 2–ब**

**प्रस्तर–1 टिहरी बांध परियोजना के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विधिवत स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन न किये जाना तथा बिना पट्टा विलेख के निष्पादन के 2582.90 हे0 वन भूमि पर कार्य निष्पादित किया जाना।**

उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक अगस्त 2007 में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र दिनांक 24/25 जून 2004 के द्वारा उक्त परियोजना हेतु कतिपय शर्तो के साथ पुनरीक्षित विधिवत स्वीकृति निर्गत की गयी थी। जो निम्नलिखित थी।–

1. म0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.2006 को आदेश पारित किये गये थे कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0नी0वी0 की धनराशि का भुगतान वन विभाग को किया जायेगा । किन्तु वन विभाग तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वर्तमान तक एन0पी0वी0 की देयता के सम्बन्ध में न तो कोई निर्णय लिया गया और न ही टी0एच0डी0सी0 से भुगतान प्राप्त किया गया।
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी गैर वन भूमि मे से 371.74 एकड भूमि का अभी तक अमलदरामद नही हुआ था। जिस कारण उक्त गैर वन भूमि को वन भूमि घोषित नहीं किया जा सका।
3. टी0एच0डी0सी0 द्वारा 258.29 हेक्टेयर वन भूमि के विरूद्व 3815 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना था। परन्तु टी0एच0डी0सी0 द्वारा वर्तमान तक 2584.29 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया गया था।
4. टी0एच0डी0सी0 द्वारा वन भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट का भुगतान वन विभाग को किया जाना था। किन्तु वन विभाग से डिमाण्ड नोट प्राप्त न होने के कारण लीज रेन्ट का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त नहीं हुआ था।

   उक्त बिंदुओ के सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि एन0पी0वी0 की देयता के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार को मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लिखा गया था किन्तु वर्तमान तक कोई अभिमत प्राप्त न होने के कारण एन0पी0वी0 की धनराशि प्राप्त नहीं की जा सकी तथा लीज रेन्ट एवं प्रीमियम सम्बन्धी पत्र इस कार्यालय को लीज रेन्ट वर्ष 2017 में प्राप्त हुआ था । इस कारण लीज रेन्ट निर्धारण नहीं किया जा सका तथा उक्त सभी बिन्द्रओ पर किसी भी शर्तो का अनुपालन प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा नहीं किया गया।

   इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2004 से वर्तमान तक 13 वर्षो के व्यतीत हो जाने के बाद प्रभाग द्वारा यथोचित एवं त्वरित कार्यवाही हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया । जिस कारण भारत सरकार

के द्वारा अधिरोपित किसी भी शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता विभाग द्वारा नहीं किया गया और बिना शर्तो के पूर्ण किये तथा बिना पट्टा विलेख के निष्पादन के 2582.90 हे0 वन भूमि पर टी0एच0डी0सी द्वारा अधिग्रहण कर कार्य निष्पादित किया जा रहा था।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग 2–ब**

**प्रस्तर–2 18.71 हेक्टेयर लीज की लीज अवधि समाप्ति होने के पश्चात लीज नवीनीकरण की कार्यवाही या अधिग्रहण की कार्यवाही न किया जाना तथा 3108.97 हेक्टेयर वन भूमि पर बिना पट्टा विलेख के निष्पादन के अधिग्रहण कर कार्य किया जाना**

वन भूमि को लीज पर दिये जाने पर लीज अवधि समाप्ति होने के पश्चात वन प्रभाग को लीज धारको द्वारा लीज नवीनीकरण का आवेदन करने पर उचित पाये जाने पर लीज का नवीनीकरणीकरण की कार्यवाही अविलम्ब कर देनी चाहिये । यदि नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जाता तो अविलम्ब वन प्रभाग को अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही कर देनी चाहिये तथा वन भूमि पर बिना पट्टा विलेख के निष्पादन के लीज धारको को वन भूमि को अधिग्रहित कर कार्य करने देना नही चाहिये।

लीज सम्बन्धी प्रकरणों एवं सूचनाओं के निरीक्षण मे पाया गया कि कृषि भूमि हेतु वन प्रभाग द्वारा लीज धारको को एक निश्चित अवधि के लिये वन भूमि लीज पर दी गयी थी (संलग्न–1)। जिसकी लीज नवीनीकरण की तिथि समाप्ति हुये तीस से पचास वर्ष तक हो चुके थे। किन्तु वन प्रभाग द्वारा न तो नवीनीकरण की और न ही भूमि अधिग्रहण की कोई कार्यवाही की गयी । साथ ही पट्टा विलेख के निष्पादन के बिना ही लीज धारको द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा था (संलग्न–2)। जिस पर भी वन प्रभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त सभी लीज धारको से लीज की प्रीमियम की राशि तथा लीज रेंट की धनराशि भी प्राप्त नहीं की जा रही थी।

इस सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि लीजो के नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी को इस कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जुलाई 2016 में अवगत करा दिया गया था तथा लीज प्रकरणों पर पटटा विलेख निष्पादन की कार्यवाही गतिमान है। वन भूमि हस्तान्तरण मामलों में लीज की प्रीमियम एवं लीज रेंट की धनराशि जिलाधिकारी के स्तर से निर्धारित किया जाता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वन प्रभाग द्वारा तीस से पचास वर्षो के पश्चात लीज नवीनीकरण हेतु वर्ष 2016 में वन क्षेत्राधिकारियों को पत्र लिख कर मात्र औपचारिकता निभायी गयी तथा नवीनीकरण हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। साथ ही पटटा विलेख के निष्पादन पर भी कोई कार्यवाही अभिलेखीय सूचना के अनुसार वन प्रभाग द्वारा नहीं किया गया। और न ही जिलाधिकारी महोदय से लीज प्रीमियम एवं लीज रेंट की धनराशि निर्धारित करने हेतु कोई पत्राचार किया गया था।

अतः 18.71 हेक्टेयर वन भूमि बिना नवीनीकरण के तथा 3108.97 हेक्टेयर वन भूमि बिना पट्टा विलेख के निष्पादन के लीज धारको द्वारा वन भूमि का अधिग्रहण कर कार्य सम्पादित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## संलग्नक–1

| लीज धारक का नाम | क्षेत्रफल हेक्टेयर में | लीज स्वीकृति की तिथि | लीज नवीनकरण की तिथि | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| श्री इन्द्रसिंह पुत्र नथूसिंह | 0.113 | 12/5/1977 | 31/12/1981 | कालातीत लीज |
| श्री जगतसिंह पुत्र जालमसिंह | 0.243 | 22/08/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री कुन्दन सिंह पुत्र कृपाल सिंह | 2.733 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री हर्ष पुत्र स्व0 गोबरू | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री बिस्सू पुत्र श्री फतरू | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री कमलदास पुत्र जूदास | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री मांगदास पुत्र गरीबदास | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री सोहनलाल पुत्र प्यारू | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री बरू पुत्र कालू | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री श्यामू पुत्र सूजा | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री एलमदास पुत्र पूर्णदास | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री बंगधीरू पुत्र भोपालू | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री सेवादास पुत्र फतूदास | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री बच्चु पुत्र उम्मेदू | 0.101 | 12/05/1977 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री गोबरूशाह पुत्र चतरशाह | 0.0035 | 7/2/1973 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री रूपसिंह पुत्र फर्तसिंह | 0.206 | 21/8/1978 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री गोपाल पुत्र कैरा | 0.176 | 21/8/1978 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री सोबनसिंह पुत्र प्रेमसिंह | 0.121 | 13/5/1977 | 31/12/1981 | तदैव |
| श्री प्रेमदत्त पुत्र धामूराम | 0.607 | 23/11/1968 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री दलभदास पुत्र कलभदास | 0.022 | 20/06/1969 | 31/12/1982 | तदैव |
| श्री बुद्विलाल, बिन्दलाल एवं मुरारीलाल पुत्र श्री जुदुदास | 0.360 | 22/06/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री सुन्दरदास पुत्र भजनुदास | 0.170 | 23/11/1968 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री चन्द्रसिंह पुत्र छोटासिंह | 0.511 | 22/08/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री कीर्तिसिंह पुत्र फतेसिंह | 0.708 | 26/04/1971 | 31/12/1974 | तदैव |
| श्री महेन्द्रसिंह पुत्र हरिचन्दसिंह | 0.0423 | 22/08/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री कलमसिंह पुत्र गोविन्दसिंह | 0.854 | 22/08/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री प्रेमसिंह पुत्र भीमसिंह | 0.303 | 22/08/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्रीमती निर्मलादेवी पुत्री मनजीतसिंह | 0.081 | 22/08/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री सूरत सिंह पुत्र हरिसिंह | 0.250 | 22/08/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री बचनसिंह पुत्र श्यामसिंह | 0.615 | 22/08/1979 | 31/12/1980 | तदैव |
| श्री प्यारसिंह पुत्र मानसिंह | 0.263 | 26/04/1971 | 31/12/1975 | तदैव |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| श्री शिवसिंह पुत्र श्री बेताल सिंह | 0.406 | 22 / 08 / 1979 | 31 / 12 / 1980 | तदैव |
| श्री गीताराम पुत्र हरिराम | 0.380 | 24 / 02 / 1953 | 31 / 12 / 1980 | तदैव |
| श्री चन्दनसिंह पुत्र गोपालू | 0.106 | 30 / 01 / 1953 | 31 / 12 / 1960 | तदैव |
| श्री मदनसिह भरतसिंह सुन्दरसिंह | 0.04 | 30 / 01 / 1953 | 31 / 12 / 1960 | तदैव |
| श्री भगवानसिंह पुत्र कुंवरसिंह | 0.300 | 10 / 12 / 1950 | 31 / 12 / 1980 | तदैव |
| श्री चतरसिंह पुत्र कर्णसिंह | 0.533 | 27 / 11 / 1957 | 31 / 12 / 1980 | तदैव |
| श्री साबसिंह पुत्र सन्तु | 0.370 | 24 / 02 / 1953 | 31 / 12 / 1985 | तदैव |
| श्री रामदयाल पुत्र संग्रामदयाल | 0.507 | 10 / 12 / 1959 | 31 / 12 / 1960 | तदैव |
| श्री पूर्णानन्द पुत्र श्री टेणूराम | 0.656 | 10 / 12 / 1959 | 31 / 12 / 1957 | तदैव |
| श्री टीकाराम पुत्र मुकुन्दराम | 1.521 | 27 / 12 / 1955 | 31 / 12 / 1960 | तदैव |
| श्री लाखीसिंह पुत्र मातंबरू | 0.065 | 24 / 02 / 1953 | 31 / 12 / 1985 | तदैव |
| श्री पारषमणि पुत्र श्रीधरामचन्द्र | 0.416 | 27 / 11 / 1957 | 31 / 12 / 1959 | तदैव |
| श्री जीतसिंह पुत्र नैनसिंह | 0.511 | 10 / 12 / 1959 | 31 / 12 / 1959 | तदैव |
| श्री श्यामसिंह श्री दलीपसिंह | 0.385 | 30 / 05 / 1961 | 31 / 12 / 1975 | तदैव |
| श्री इन्द्रसिंह पुत्र शिवशरण | 0.800 | 03 / 09 / 1953 | 31 / 12 / 1985 | तदैव |
| श्री महेशानन्द पुत्र तुलसी | 0.100 | 30 / 01 / 1953 | 31 / 12 / 1984 | तदैव |
| श्री नैनसिंह पुत्र घनी | 0.378 | 03 / 09 / 1957 | 31 / 12 / 1962 | तदैव |
| श्री हरिसिंह पुत्र लालसिंह | 0.541 | 24 / 02 / 1953 | 31 / 12 / 1962 | तदैव |
| श्री मुकन्दराम पुत्र सालिकराम | 0.624 | 03 / 09 / 1957 | 31 / 12 / 1959 | तदैव |
| श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र चिरंजीलाल | 0.02 | 17 / 04 / 1978 | 31 / 12 / 1982 | तदैव |
| श्री चन्द्रमोहन डोभाल | 0.02 | 17 / 08 / 1972 | 31 / 12 / 1977 | तदैव |
| श्री एस0सी0सिंघा | 0.041 | 26 / 04 / 1969 | 31 / 12 / 1973 | तदैव |
| श्री वीरसिंह पुत्र नारायण सिह | 0.002 | 27 / 12 / 1955 | 31 / 12 / 1985 | तदैव |
| श्री मनीराम रामप्रसाद | 0.50 | 12 / 12 / 1972 | 31 / 12 / 1986 | तदैव |
| **कुल हेक्टेयर** | **18.71** | | | |

**संलग्नक–2**

| लीज धारक का नाम | क्षेत्रफल | लीज स्वीकृति की तिथि | लीज नवीनकरण की तिथि | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| टी0एच0डी0सी0 टिहरी | 2582.90 | 04 / 06 / 1987 | | पटटा विलेख निष्पादन के बिना ही कार्य सम्पादित हो रहा है |
| टी0एच0डी0सी0 टिहरी–कोटेश्वर बांध | 338.932 | 23 / 10 / 2002 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता उ0पे0नि0 चम्बा | 0.1548 | 23 / 01 / 2003 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा जल निगम चम्बा | 0.057 | 01 / 09 / 1989 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पें0नि0 चम्बा | 0.123 | 31 / 01 / 1996 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पें0नि0 घनसाली | 0.1264 | 17 / 11 / 1997 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल निगम चम्बा | 0.2445 | 20 / 01 / 2000 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उ0प्र0 जल निगम नई टिहरी | 0.807 | 21 / 10 / 1993 | | तदैव |
| प्रबन्धक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया | 24.072 | 11 / 05 / 2000 | | तदैव |
| अध्यक्ष ग्रामीण पेंयजल स्वच्छता समिति स्वजल परियोंजना | 0.025 | 26 / 06 / 2000 | | तदैव |
| नई टिहरी भागीरथी पुरम पेयजल योजना | 0.6538 | 19 / 01 / 2001 | | तदैव |
| जिला पंचायत टिहरी गढवाल चन्द्रबदनी | 0.0306 | 21 / 11 / 2004 | | तदैव |
| पावर ग्रिड कॉरपोरशन कोटेश्वर पावर पुलिस स्टेशन निर्माण | 4.172 | 28 / 07 / 2006 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता लाईन कन्सक्ट्शन प्रोजेक्ट पिटकुल | 3.0262 | 09 / 05 / 2008 | | तदैव |
| पावर ट्रॉसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड | 117.0336 | 09 / 05 / 2008 | | तदैव |
| उपमहाप्रबन्धक पावर ट्रॉसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड | 18.144 | 21 / 04 / 2009 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल निगम चम्बा | 3.22 | 19 / 01 / 2015 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा पेयजल निगम मुनी की रेती | 0.96 | 12 / 05 / 2015 | | तदैव |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उपमहाप्रबन्धक टी0एच0डी0सी0 इ0लि0 | 4.668 | 27 / 02 / 2017 | | तदैव |
| उपप्रबन्धक पॉवर ग्रिड कॉरपोरशन ऑफ इण्डिया | 4.8 | 06 / 03 / 2017 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय नई टिहरी–घनाती नहर | 0.810 | 03 / 06 / 1987 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय नई टिहरी–बगोरा नहर | 0.0525 | 11 / 03 / 1983 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड प्रथम नई टिहरी | 0.330 | 26 / 11 / 1994 | | तदैव |
| अधिशासी अभियन्ता पेयजल निगम नई टिहरी | 0.0341 | 15 / 12 / 1994 | | तदैव |
| प्रबन्धक जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 0.575 | 20 / 05 / 2000 | | तदैव |
| प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज नौलबासर | 1.006 | 02 / 09 / 2000 | | तदैव |
| प्रबन्धक हिमालयन कन्या जूनियर हाई स्कूल | 0.1306 | 03 / 10 / 2002 | | तदैव |
| जिला पंचायत टिहरी गढवाल चन्द्रबदनी | 0.0306 | 02 / 11 / 2004 | | तदैव |
| प्रधानाचार्य रा0औ0प्र0संस्थान चमियाला | 0.608 | 04 / 03 / 2003 | | तदैव |
| प्रभारी प्रा0स्वा0केन्द्र मदन नेगी चिकित्सालय भवन | 0.580 | 29 / 05 / 2003 | | तदैव |
| उद्यमिता विकास केन्द्र एवं तकनीकी विकास विस्तार केन्द्र घनसाली | 0.06 | 21 / 04 / 2008 | | तदैव |
| प्रधानाचार्य रा0औ0प्र0संस्थान थौलधार | 0.60 | 06 / 03 / 2008 | | तदैव |
| टी0बी0एम0ओ0यू0 ऋषिकेश–लम्बगॉव जिवाला बुकिंग कार्यालय | 0.001 | 10 / 03 / 2011 | | तदैव |
| **कुल हेक्टेयर** | **3108.96** | | | |

**भाग 2–ब**

**प्रस्तर-3 विभिन्न जमा शीर्षको के अन्तर्गत अवशेष राशि ` 29.55 लाख तदर्थ कैम्पा कोष में जमा न किया जाना।**

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्रांक 2279/जी–373/दिनांक 13 फरवरी 2015 के अनुसार यह अवगत कराया गया था कि वन प्रभाग से सम्बन्धित अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं0 नि0/985/3–3 दिनांक 07–01–2015 के द्वारा प्रेषित सूची के अनुसार वांछित धनराशि ` 29.55 लाख (सूची संलग्न) यथाशीध्र तदर्थ कैम्पा कोष में जमा करते हुये प्रकरणवार एवं मदवार जमा की गयी धनराशि की सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिये कहा गया था। जिससे कि सूचना भारत सरकार को भेजी जा सके।

किन्तु निरीक्षण में पाया गया कि प्रभाग द्वारा न तो सूचना प्रेषित की गयी और और न ही उक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा ं की गयी। तथा उक्त राशि एफ0डी0 के रूप में राशि प्रभाग स्तर पर पडी हुयी थी।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि उक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रभाग का उत्तर मान्य नहीं था । कैम्पा कोष में जमा कराये जाने हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक महोदय ने वर्ष 2015 में ही आदेशित किया था कि यथाशीध्र राशि को जमा कराये । किन्तु दो वर्ष के पश्चात भी प्रभाग स्तर पर कोई यथोचित कार्यवाही नहीं गयी और प्रभाग स्तर पर राशि पडी हुयी थी।

अतः विभिन्न जमा शीर्षको के अन्तर्गत अवशेष राशि ` 29.55 लाख तदर्थ कैम्पा कोष में जमा न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## व्यय

### भाग 2–ब

### प्रस्तर–04 डी0सी0एल0 मद में जमा राशि रू 75.22 लाख का पुर्नवैधीकरण न किया जाना

शासनादेश सं0 194/xxvii/आ0प्र0(14) 2009, दिनांक 26 फरवरी 2009 के क्रम में अवगत कराना है कि जिन मामलों में 25 प्रतिशत तक कार्य नहीं हुये है उनके लिये डी0सी0एल0 में रखी धनराशि के उपभोग के लिये वित्त विभाग से पुर्नवैध करया जाना आवश्यक है। प्रमुख वन संरक्षक नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं0 890/3–2 एफ0डी0 दिनांक 17.11.2015 द्वारा प्रभाग को वर्ष 2000–01 से 2007–08 तक डी0सी0एल0 में जमा राशि को पुर्नवैध कराये जाने के लिये प्रस्ताव दिसम्बर 2015 तक प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था।

किन्तु अगस्त 2016 की उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वन प्रभाग में 17 मदों में ` 50.40 लाख की राशि वन जमा में अवशेष पडी हुयी थी। तथा अगस्त 2013 की सूचना के अनुसार वर्ष 2011 तक डी0सी0एल0 में पुर्नवैध हेतु अवशेष धनराशि क्रमशः ` 21.25 लाख तथा ` 3.57 लाख की राशि अवशेष पडी हुयी थी।

इस सम्बन्ध में इकाई से पूछे जाने पर बताया गया कि अगस्त 2016 में शासन को पुर्नवैध हेतु प्रेषित किया गया था। आडिट द्वारा संज्ञान में लाये जाने के पश्चात पूर्ण मिलान कर तदानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रभाग द्वारा गम्भीरतापूर्वक पुर्नवैध हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी । तथा पूर्व में वन जमा में अवशेष राशि जो पुर्नवैध हेतु पडी हुयी थी, का मिलान भी नहीं किया गया । जिससे प्रभाग को वास्तविक राशि का संज्ञान भी नहीं था।

अतः डी0सी0एल0 मद में जमा राशि ` 75.22[1] लाख का पुर्नवैधीकरण न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

[1] *` 50.40 +21.25+3.57=` 75.22 लाख*

# STAN

## 1 लीसा की नीलामी न होने के कारण 3817.94 कुन्तल लीसा का अवरूद्व रहना ।

लीसा भण्डार डिपों ऋषिकेश के पत्रांक 38/10 दिनांक 01/08/2017 में लीसा आमद एवं निस्तारण की सूचना में निम्नलिखित स्थिति पायी गयी थीं–

| उपज वर्ष | प्राप्त लीसा (कुन्तल में) | निस्तारित लीसा (कुन्तल में) | अनुमानित छिज्जत मात्रा (कुन्तल में) | शुद्व लीसा अवशेष (कुन्तल में) |
|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | 5586.06 | 4570.00 | 43.06 | 973.00 |
| 2016–17 | 5580.71 | 2635.70 | 100.77 | 2844.94 |

लीसा की अवशेष नीलामी के सम्बन्ध में इकाई से पूछने पर बताया गया कि बताया गया कि अवशेष लीसा नीलामी के सम्बन्ध में डिपों से पत्राचार कर वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

इकाई का उत्तर स्वतः इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रभाग स्तर पर और डिपों स्तर पर अवशेष 3817.94 कुन्तल लीसा की नीलामी के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

## भाग-**III**

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN |
|---|---|---|---|
| 05/2002-03 | 1,2,3 | 1,2,3 | |
| 27/2003-04 | 1,2 | 1,2.3 | |
| 31/2004-05 | ---- | 1,3 | |
| 39/2005-06 | 1 | 1,2,3 | |
| 67/2006-07 | 1 | 1,2,3 | |
| 36/2013-14<br>(Expenditure)<br>(Revenue) | - | <br>1,2,<br>1,2,3 | 1,2 |
| 213/2015-16 | ----- | 1,2,3,4, | |

## <u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी** तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः
   (i) शून्य
   (ii)
   (iii)
2. सतत् अनिय मतताएः **(**राजस्व एवं व्यय से संबं धत अलग अलग दर्शाएँ)

(i) शून्य
(ii)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| (i) | श्री सुशान्त पटनायक | वन संरक्षक भागीरथी वृत्त |
| (ii) | **श्री** कोको रोसे | प्रभागीय वनाधिकारी |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग टिहरी** को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी